

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, "या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 3क के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, "या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (ग) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली और केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (5) के तहत अधिसूचित सेवाओं पर उपरोक्त मद (ख) और (ग) में शामिल कुछ भी लागू नहीं होगा";

- (iv) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (ड.) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली और केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (5) के तहत अधिसूचित सेवाओं पर, उपरोक्त मद (ड.) में शामिल कुछ भी लागू नहीं होगा"।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/207/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017 -केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 691 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 7/2021- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2021, सा.का.नि. 688 (अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2021

No. 16/2021 - Central Tax (Rate)

G.S.R. 810(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the TABLE, -

- (i) against serial number 3, in column (3), in the heading "Description of Services", the words "or a Governmental authority or a Government Entity" shall be omitted;
- (ii) against serial number 3A, in column (3), in the heading "Description of Services", the words "or a Governmental authority or a Government Entity" shall be omitted;
- (iii) against serial number 15, in column (3), in the heading "Description of Services", after item (c), the following shall be inserted, namely, -

“Provided that nothing contained in items (b) and (c) above shall apply to services supplied through an electronic commerce operator, and notified under sub-section (5) of Section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).”;

(iv) against serial number 17, in column (3), in the heading “Description of Services”, after item (e), the following shall be inserted, namely, -

“Provided that nothing contained in item (e) above shall apply to services supplied through an electronic commerce operator, and notified under sub-section (5) of Section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).”

2. This notification shall come into force with effect from 1st day of January, 2022.

[F. No. 354/207/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, vide number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended by notification No. 07/2021 - Central Tax (Rate), dated the 30th September, 2021 vide number G.S.R. 688(E), dated the 30th September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2021

सं. 16/2021-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 811(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5), और धारा 148 के साथ पठित, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 6 की उप-धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक ‘सेवा का वर्णन’ में, “या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय” शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 3क के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक ‘सेवा का वर्णन’ में, “या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय” शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक ‘सेवा का वर्णन’ में, मद (ग) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“बशर्ते कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली और एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (5) के तहत अधिसूचित सेवाओं पर उपरोक्त मद (ख) और (ग) में शामिल कुछ भी लागू नहीं होगा”;

- (iv) क्रम संख्या 18 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक ‘सेवा का वर्णन’ में, मद (ड.) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-